न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1842/2017

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गै0सा0 ::–
1. लक्ष्मणदान पुत्र हीरदान 2. आईदान पुत्र हीरदान 3. महेशदान पुत्र दानादान 4. राजुदान पुत्र उदयकरण 5. आईदान पुत्र छगनदान 6. ओमदान पुत्र छगनदान जातियान चारण निवासी लखासनी तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. गणेशदान पुत्र शिवदान 2. ओंकरदान पुत्र शिवदान 3. अचलदान पुत्र शिवदान जातियान चारण निवासीगण लखासनी तहसील जैतारण जिला पाली(राज.) 4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः 31/07/2017**

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री, चावण्डदान बाहरठ अधिवक्ता, गै0सा0।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 07/06/2018**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा लखासनी पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में सायल एवं गैरसायल की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 258 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 16 बिस्वा गै.मु. बेरा कुल रकबा 259–04 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। माफिक हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहा है नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है वर्तमान जमाबंदी व नक्शा ट्रेश संलग्न है। उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायल की सामलाती है जिसमे 1/4 हिस्सा छगनदान पुत्र राणीदान, 1/4 हिस्सा उदयदान पुत्र वीरदान, 1/4 हिस्सा दानादान पुत्र हीरादान व 1/4 हिस्सा शिवदान पुत्र हेमदान का आता है व उनके बाद सायल एवं गैरसायल तथा अन्य खातेदारान का हिस्सा कानूनन खातेदारी भूमि में आया हुआ उक्त सम्पूर्ण भूमि मुख्य सड़क पर आई हुई है। गैरसायल संख्या 1 से 3 झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो सहमति से बंटवाड़ा करना नही चाह रहे है तथा उनकी नियत मुख्य मार्ग पर सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा करने की है जबकि मुख्य फ्रन्ट की जमीन पर प्रत्येक इंच की जमीन पर प्रत्येक खातेदार का कानूनन अधिकार है ताकि भविष्य में खेतों में जाने के लिये रास्ते की तकलीफ नही हो। दिनांक 5/6/2017 को सभी सायलान जो कि अपने हिस्से की भूमि के खातेदार है एक सहमत होकर आपसी बंटवाड़ा कर रास्ते पर पेमाईस करवाने का तो बंटवाड़ा करने से मना कर दिया व एलानिया धमकी दी कि मै मुख्य मार्ग पर सम्पूर्ण भूमि पर जबरन कब्जा लाठियों के बल पर करलेंगें व बंटवाड़ा करने से गैरसायल संख्या 1 से 3 मना कर दिया वह हां कि जो बेरे पर रास्ता जाता है उसको भी बंद कर देंगे व लाठियों के बल पर रास्ते की जमीन पर तुम्हे बेदखल कर फ्रन्ट की जमीन पर जबरन कब्जा काश्त कर लेंगे। अथवा फ्रन्ट की भूमि किसी भू–माफिया को बेच देंगे व बंटवाड़ा करने से इंकार कर दिया सायलान के पास बंटवाड़ा करने से मना करने के बाद अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है सायलान बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनन बंटवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

करवाने का अधिकारी है यदि ताकत के बल पर गैरसायल संख्या 1 से 3 रास्ते की फन्ट की जमीन पर कातले रोपकर कब्जा कर लेते है तो सायलान को असीम क्षति होगी तथा मुकदमेंबाजी होगी मौके पर खुन खच्चर होगा सायलान सीधे साधे काश्तकार गैरसायलान से लड़ाई झगड़ा नही कर सकते उनके पास अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त तथ्यों, पारिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा व उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन हर दृष्टिकोण से सायलान के पक्ष में है यदि गैरसायल बिना बंटवाड़ा करवाये फन्ट व रास्ते की भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर देते है एवं सायलान को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायलान अपने जायज हक हुक्को से महरूम हो जायेगें तथा सायलान गैरसायल द्वारा किये जा रहे गलत कार्यो का विरोध करेगें तो मौके प्र्र विवाद होगा व विविध प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी इसलिए गैरसायल द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्य को रोके जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस वकील सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गै.सा. को जरिये नोटिसेज वास्त जवाब प्रा. पत्र तलब किये गये। गै.सा. सं. 01 से 03 की और से मूल वाद में वकालतनामा पेश हुआ व जवाब प्रार्थना पत्र पेश करना समय चाहा गया। वकील गै. सा. को अनेक अवसर दिये जाने बावजुद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पाटवा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील गैर सायलान को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अनेकानेक अवसी दिये जाने के बावजुद जवाब प्राथ्रना पत्र पेश नही करने जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया जाता हैं। वस्तुतः सायलान व गैर सायलान की पैतृक पुश्तेनी आराजी सामलाती खतेदारी की हैं, जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा चाहा गया हैं। लिहाजा विवादित आराजी में उभय पक्षकारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने एवं मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझतें हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा लखासनी पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में सायल एवं गैरसायल की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 258 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 16 बिस्वा गै.मु. बेरा कुल रकबा 259–04 बीघा विवादित आराजी में उभय पक्षकारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करने एवं मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

07/06/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/06/201 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र पाटवा में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)